



# चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर की मुख्यमंत्री से हुई शिकायत केक काट कर मनाया 140वां पक्षकारों के प्रभाव में आकर एकपक्षीय निर्णय दिए जाने का लगाया आरोप

मिल्कीपुर-अयोध्या । चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर द्वारा राजस्व गांव पिठला के अभिलेखों में बैनामे के आधार पर दर्ज खातेदारों को बेदखल किए जाने का मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरबार जा पहुंचा है। पीड़ित खातेदार ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करते हुए चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान पक्षकारों के प्रभाव में आकर उनसे अनुचित अनुतोष प्राप्त करते हुए आदेश पारित किए जाने का आरोप लगाया है। बताते चलें कि मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र स्थित राजस्व गांव पिठला के राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 6 मि. में भूखंड का शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह सहित रामऋषि एवं निर्मला देवी द्वारा बैनामा लिया गया था। जिसके आधार पर बैनामेदार राजस्व अभिलेखों सहित मौके पर काबिज एवं दरखील चला आ रहे हैं। इस बीच न्यायालय चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर राकेश खन्ना द्वारा बीते 20 जनवरी 2023 को मुकदमा संख्या 644, 645, 805 व 806E 2023 में 17 अक्टूबर 1967 को पूर्व चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक चकबंदी अधिकारी के आदेश को निरस्त किए जाने के लिए दूसरे चकबंदी अधिकारी को कानून में कोई अधिकार ही नहीं दिया

या है। विदित हो कि 2 – 2 बार चकबंदी प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत दो बार धारा 52 का काकशन भी हो चुका है। चकबंदी अधिकारी ने मुकदमे के अन्य पक्षकार खतौनी में किस आधार पर इंद्राज किए गए हैं इसका भी कोई न तो उल्लेख अपने द्वारा नहीं किया गया है और इसका असरित आदेश में ही किया है और इसका अधिकारी ही पत्रवाली में कोई साक्ष्य ही नहीं लिया गया है।

पीडित खातेदार का आरोप कि चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर काकेश खन्ना ने मुकदमे के अन्य पक्षकारों से दुरभि संधि करते हुए उनसे अनुचित अनुतोष प्राप्त कर आर्थि सहित अन्य बैनामेदारों की मपूर्णीय हकतल्फी की है। चकबंदी अधिकारी द्वारा मुकदमे के कुछ पक्षकारों के प्रभाव में आकर एकपक्षीय निर्णय दिया है। पीडित का कहना है कि तत्कालीन गाटा संख्या 6 ड में 146 बीघे 9 बिस्ता 10 धुर भूमि राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कई अधिसूचना के आधार पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के पक्ष में अधिग्रहित की गई थी।

जिसके आधार पर आज भी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी भूमि पर बाउंड्री वाल निर्माण करते हुए कृष्टारोपण इत्यादि कराया गया है। चकबंदी अधिकारी ने अपने आदेश में कृषि विश्वविद्यालय के खाते में दर्ज भूमि को यथावत रखते हुए इसी भूखंड में स्थित जूनियर हाई स्कूल पीपला की 40 बीघा भूमि को भी यथावत रखा है। पीडित का आरोप है कि मुकदमे के अन्य पक्षकारों द्वारा केवल आधार वर्ष खतौनी है पत्रवाली में दाखिल किया गया है। उक्त खातेदार किस आधार पर खतौनी में दर्ज किए गए तो इसका कोई ठोस साक्ष्य चकबंदी अधिकारी द्वारा मुकदमे की सुनवाई के दौरान नहीं लिया गया है, जो चकबंदी अधिकारी की निष्ठा के स्वयं प्रमाणित कर रहा है। उधारे आरोपों से घिरे चकबंदी अधिकारी राकेश खन्ना का कहना है कि जो पक्ष मुकदमे में हारता है वह शिकायत करता ही है। उन्होंने किसी के प्रभाव में आकर एकपक्षीय निर्णय दिए जाने से इनकार किया है।

# प्रदेश में भयमुक्त वातावरण का किया गया है निर्माण : नंदी —निवेशकों का निवेश किया हुआ एक—एक पायी रहेगा सुरक्षित व संरक्षित

जयाव्या नाह करपरा 2023 में प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु जनपद के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन आयुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में किया गया। अयोध्या इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री औद्योगिक विकास, नियंत्रित प्रोत्साहन, एनआआई निवेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में जनपद में लगभग 19,042.82 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निवेशकों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही प्रोत्साहन सुविधाएं सहजता से उपलब्ध करायें जाने का भरोसा दिलाता हुए प्रदेश के जायक विकास हेतु निवेशकों औद्यमियों से अधिक से अधिक निवेश करने की अपेक्षा की गई। उन्होंने कहा है कि सभी निवेशक भाईयों का निवेश किया हुआ एक-एक पायी सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में बैहतर कानून व्यवस्था के द्वारा भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया गया है। इसमें सभी निवेशक भाई आज मंच पर आकर अपने निवेश की पूंजी के बारे में बता रहे हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि अयोध्या में पर्यटन एवं संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। जनपद में निवेश सुरक्षित एवं संरक्षित रहने के साथ अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। जनपद में निवेश की आपार संभावनायें हैं। जिलाधिकारी द्वारा

परियोग का नारा प्रदान करना के निवेश हेतु निवेशकों से प्राप्त सुझाव के अनुसार जनपद में औद्योगिक विकास के अनुकूल आतावरण का सृजन किया जायेगा। इस अवसर पर जिलाधीकारी नितीश कुमार ने उद्योग में जुड़े हुये विशिष्ट व्यक्तियों के मतलावा विधायक रुदौली राम पन्नद्वयादव, जिला पंचायत अधिकारी अधिक्ष प्रतिनिधि रहित सिंह भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुनिराज जी ने कहा कि योद्धा में विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनानी रहेगी। हम सभी निवेशकों ने विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें जनपद अयोध्या में किसी भी घटकारी की कोई दिक्कत नहीं देगी। उद्घाटन समारोह के उपरान्त उपायुक्त उद्योग, अमरेश कुमार पाण्डेय द्वारा जानाना और नीति-2022 एवं जानाना 10 से 12 फरवरी, 2023 को आयोजित इन्वेस्टर समिट के बारे में विस्तार से बताया गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपी० सीडा, के०एन० श्रीवास्तव, संयुक्त निवेशक एच०पी० सिंह एवं उपायुक्त उद्योग अमरेश कुमार पाण्डेय द्वारा अपने-अपने विभागों में चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी निवेशकों को दी गयी।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रोत्साहन नीतियों यथा टेक्सटाइल पालिसी-2022 एम०एस०एम०ई० नीति-2022, आई०आई०ई०पी० पालिसी-2022 पर्यटन नीति-2022 तथा बैंक द्वारा संचालित वित्तीय योजनाओं का पावर पॉलिट्रेशन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया।

इन्वेस्टर समिट में अब तक एम०एस०एम०ई० क्षेत्र में रु 527.20 करोड़, यूपी० सीडा में रु 845 करोड़, पर्यटन में रु 617.15 करोड़, अयोध्या तथा विकास प्राधिकरण में रु 4037 करोड़ कुल मिलकर रु 19,042.8 करोड़ निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 44,997 रोजगार का सृजन होगा।

इन्वेस्टर समिट में मार्टिन औद्योगिक विकास उप्रभाव लखनऊ द्वारा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु निवेशकों उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र, से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विदायक रामचन्द्र यादव द्वारा जनपद के निवेशकों को अधिक से अधिक निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया और हर प्रकार

मिल्कीपुर-अयोध्या। चौकी क्षेत्र बारून बाजार के चमनगंज में आमने-सामने से दो कारों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। फैजाबाद से पश्चि चिकित्सालय मिल्कीपुर ड्यूटी जा रहे पशुधन प्रसार अधिकारी आलोक कुमार सिंह तथा कुमारगंज से फैजाबाद दवा लाने जा रहे मो आबिद की कारों के बीच चमनगंज बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट सड़क पर दिन में 11बजे आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। जिसमें स्विप्ट डिजायर सवार नवाब अली(60) पुत्र अजमतउल्लाह एवं मो आबिद अली(52) पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासीगण कुमारगंज बुरी तरह से जख्मी हो गए। जबकि टाटा टियागो सवार पशुधन प्रसार अधिकारी आलोक कुमार सिंह को भी काफी चोटें आई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी बारून बबलू कुमार ने घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने स्थिति गंभीर होने के कारण नवाब अली एवं मो आबिद अली को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।

**गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं**

# मोहम्मद आतिफ मलिक



**दो कारों में आमने-सामने की टक्कर में तीन घायल**

मिल्कीपुर-अयोध्या। चौकी क्षेत्र बारून बाजार के चमनगंज में  
आमने-सामने से दो कारों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए।  
फैजाबाद से पश्चि चिकित्सालय मिल्कीपुर ड्यूटी जा रहे पश्चुदन  
प्रसार अधिकारी आलोक कुमार सिंह तथा कुमारगंज से फैजाबाद  
दवा लाने जा रहे मो आबिद की कारों के बीच चमनगंज बाजार  
में बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट सड़क पर दिन में 11बजे आमने-सामने  
से जोरदार टक्कर हो गई। जिसमें स्विप्ट डिजायर सवार नवाब  
अली(60)पुत्र अजमतउल्लाह एवं मो आबिद अली(52) पुत्र मोहम्मद  
हनीफ निवासीगण कुमारगंज बुरी तरह से जख्मी हो गए। जबकि  
टाटा टियागो सवार पश्चुदन प्रसार अधिकारी आलोक कुमार सिंह  
को भी काफी चोटें आईं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे चौकी  
प्रभारी बारून बबलू कुमार ने घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से  
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने  
स्थिति गंभीर होने के कारण नवाब अली एवं मो आबिद अली को  
जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।

10 बजे तक डोर टू डोर अभियान' का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सूबे के सभी निकायों में आज से '10 बजे तक डोर टू डोर' अभियान प्रारंभ हो गया है। प्रार्थना, सहभागिता और जुर्माना के आधार पर चलने वाले इस तीन चरणों के अभियान को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने डोर टू डोर की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान में शामिल कलेक्शन की गाड़ियों को फूल मालाओं से सजाए गया था। इसके साथ ही आकर्षक झांकी एवं स्वच्छता गीतों की धुनों पर डोर टू डोर की गाड़ियां जिलाधिकारी कार्यालय से रामबाग, संकटमोचन, वासलीगंज होते हुए घन्टाघर में समापन किया गया। अभियान के प्रथम दिन लोगों को अपने मकानों एवं प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रूप में कर्मचारियों को देने, खुले में कूड़ा न फेंकने को लेकर जागरूक किया गया। इस भौके पर जिलाधिकारी ने पत्रकारों को कपड़े के झोले का भी वितरण कर स्वच्छता का संदेश भी दिया।

A portrait of a man with a dark beard and short hair, wearing a white button-down shirt. He is looking directly at the camera against a black background. To his left is a yellow banner containing text in Hindi and English, along with three Indian flags.



**गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शभकामनाएं**





# सम्पादकीय

यह तो संधि की धारा 9 का उल्लंघन है। अब भारत की सहमति के बिना ही पाकिस्तान हेंग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण में चला गया है। इसी से नाराज होकर भारत ने अब पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस दे दिया है लेकिन आश्चर्य है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने हेंग के न्यायाधीशों को अभी तक संधि के नियमों के इस...

भारत और पाकिस्तान के बीच अब ऐसे मामले पर विवाद उठ खड़ा हुआ है, जिसे सारी दुनिया के देश एक आदर्श संधि मानते रहे हैं। अब से 62 साल पहले जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के प्रयत्नों से सिंधु नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, उसका पालन कई युद्धों के दौरान भी होता रहा लेकिन भारत ने अब संधि के नियमों का हवाला देते हुए इसके प्रावधानों को बदलने की पहल की है। भारत ने पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस दिया है कि दोनों देश मिलकर अब संधि के मूलपाठ में संशोधन करें। संशोधन क्या-क्या हो सकते हैं, यह भारत सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है लेकिन जाहिर है कि वह ऐसे नियम अब बनाना चाहेगी कि जैसा तूल इस संधि ने अभी पकड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चला है, वाशिकायत हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को कर दी जाएगी। मतभेद पर वह अपना पंच फैसला दे या मध्यस्थता विवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाना तीसरा सिंधु आयोग में जाना या फिर किसी तटरथ मध्यस्थ बीच विवाद छिड़ा दो बांधों को लेकर जो भारत बनाए जाएं।



# सामाजिक मर्यादा के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास

कालजयी कविता वह होती है जो सार्वकालिक हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताओं को किसी एक कालखंड में कैद नहीं किया जा सकता बल्कि उनकी कविताएं आज भी एक उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी मध्यकाल में रही हैं। प्रबंधकार कवि की भावुकता और रसात्मकता से ओतप्रोत गोस्वामी जी महाकवि हैं। जिस तरह महा कवि वाल्मीकि के राम हैं, भवभूति के राम अलग किस्म के हैं। भवभूति के उत्तररामचरितम के राम रुदन करते हैं। विश्व साहित्य में यह अभूतपूर्व है। भवभूति ने दाम्पत्य प्रेम का जैसा उज्ज्वल और विषद चित्र खींचा है, वह दुर्लभ है। वाल्मीकि प्रभु श्रीराम के समकालीन थे। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। प्रज्ञा चक्षु गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरित मानस को एक प्रबंध काव्य के रूप में रचा है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी किन्ही। ढोल गवारं सूद्रं पशु नारी नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु ने अच्छा किया कि जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा, जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। गीताप्रेस वाले संस्मरण में यही अर्थ किया है। ताड़ना का अर्थ शिक्षा से है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी के अध्येता डॉ राम नरेश मिश्र मानस की व्याख्या करते हुए कहा करते थे कि अवधी बोली में ताड़ना का अर्थ देखने से होता है। आज भी लोग अवधी में बोलते हैं कि हम ओके ताड़त रहे अर्थात् उसको देख रहे थे। ताड़ना का अर्थ उनके कार्यों को देखने से है न कि पीटने से है। मेरी नजर में यह पंक्ति ही किसी अन्य कवि की है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रबंधकार हैं। माता सीता के प्रति उनका भाव बोध उज्ज्वल है। ईश्वर द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि के द्वारा जो पाठ मैंने किया है वह यह है कि ढोल गंवार सूद्र पशु नारीधस्कल उपासना का अधिकारी।। आप देख सकते हैं कि ढोल मध्यकाल में मंदिरों में कीर्तन का माध्यम था। ढोल की उपयोगिता आज भी सर्व विदित है। गंवार अर्थात् गांव के लोग खेती किसानी करते थे जबकि शूद्र लोग समाज की सफाई के कार्य में सन्नद्ध थे और यह उनका वंशानुगत पेशा कदापि न था। बल्कि उनका कर्म आधारित सामाजिक पेशा था। नारी के प्रति गोस्वामी जी का सम्मान जग जाहिर है। इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त पंक्ति यही है। गोस्वामी जी सामाजिक संरचना की भली भाँति जानते थे। पूरे जीवन उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास



यह सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और अंतर-समूह समानता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जातियों की गिनती करने में कोई बुराई नहीं है, और अगर भारत सरकार में न्याय और निष्पक्षता की जरा सी भावना बची है तो इसको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। छलेखक विजिटिंग फैकल्टी, नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यनिवर्सिटी, बेंगलुरु एंड...

पंकज कुमार  
आधुनिक जटिल राजनीतिक व्यवस्था व्यापक स्तावेजीकरण और जनसंख्या के वर्गीकरण के ना कार्य नहीं कर सकती है। आजादी के बाद ही जाति की गिनती को मनमाने तरीके से जरांदाज किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों जनगणना का हमारा फैसला द्वारांतों पर आधारित नहीं है? यदि जातिगत गणा सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है। भारत सरकार के इंकार करने के बाद बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का पर्याय वास्तव में बिहार एवं देश की राजनीति लिहाज से एक बड़ा कदम है। यह कदम सिर्फ राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है।

पंकज कुमार  
आधुनिक जटिल राजनीतिक व्यवस्था व्यापक दस्तावेजीकरण और जनसंख्या के वर्गीकरण के बिना कार्य नहीं कर सकती है। आजादी के बाद से ही जाति की गिनती को मनमाने तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों जनगणना का हमारा फैसला सेद्धांतों पर आधारित नहीं है? यदि जातिगत गणना सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है। भारत सरकार के इंकार करने के बाद बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का निर्णय वास्तव में बिहार एवं देश की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा कदम है। यह कदम न सिर्फ राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है—विं विं विं विं विं

किसी से छिपा नहीं है कि इन तर्कों का उपयोग जाति के आसपास केंद्रित हर प्रगतिशील उपाय के खिलाफ किया जाता रहा है। यह सोचना ही बेतुका है कि जातियों की गिनती किए बिना जाति को मिटाया जा सकता है और सामाजिक सद्भाव को हासिल किया जा सकता है। वास्तव में, हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि जाति अपनी प्रकृति से ही असामाजिक है (जैसा अम्बेडकर ने कहा है), और इसकी आधारभूत संरचना को मिटाए बिना सामाजिक समरसता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हम कब तक इस सुहावनी सोच के साथ जीना चाहते हैं कि अगर हम जातियों को नहीं गिनेंगे या सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो यह गायब हो विरोधियों द्वारा व्यापक है— तो धर्म भी एवं धर्म की गिनती व का कोई भी पर्याप्त भारत में जाति अस्तित्व है जो कि देश में विरासित करती है।

सवाल यह है कि खिलाफ विरोधियों समाज और देश के दर्शाता हैं? मेरे हित वीजों को दर्शाता है कि असभी क्षेत्रों में सभी कामों का प्रयास है, जैसे

बाल्क जात का हमारा समझ का भी पुनर्भासेत र सकता है। मुख्यधारा के मीडिया और राय नाने वाला वर्ग जाति आधारित जनगणना की असंगतता पर न सिफ सवाल उठा रहे हैं लेकिं उसको अमान्य करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल, जातिगत गणना के विरोधियों पास कोई नया तर्क नहीं है। वे उसी नेतृत्विकार को दोहरा रहे हैं कि यह जातिवाद जन्म देगा, समाज को विभाजित करेगा, और जुदा जाति-आधारित कोटा को बढ़ाएगा। यह जाएगी।

यह सर्वविदित है कि आधुनिक जटिल राजनीतिक व्यवस्था व्यापक दस्तावेजीकरण और जनसंख्या के वर्गीकरण के बिना कार्य नहीं कर सकती है। आजादी के बाद से ही जाति की गिनती को मनमाने तरीके से नजरअंदाज किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों जनगणना का हमारा फैसला सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? यदि जातिगत गणना सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है—जैसा इसके

# پاکستانِ اسلامیہ کی شرمندی میں

ज्यादातर पानी पाकिस्तान जाता है, दो बांध बनवा रहा है। किशनगंगा और रातले पनबिजली योजनाओं से पाकिस्तान अपने लिए बड़ा खतरा महसूस कर रहा है। ये दोनों पनबिजली परियोजनाएं झेलम और चिनाब नामक नदियों पर बन रही हैं। पाकिस्तान को उर है कि इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को जानेवाले पानी को न केवल भारत रोकेगा बल्कि बांधों को अचानक खोलकर पाकिस्तान को बाढ़ में डुबाने की कोशिश भी करेगा। पाकिस्तान ने जब यह आपत्ति की तो सिंधु आयोग कोई फैसला नहीं कर सका। इस आयोग में दोनों देशों के अफसर शामिल हैं। तब पाकिस्तान ने पहल की कि कोई तीसरा तटरथ व्यक्ति मध्यस्थिता करे। पाकिस्तान की यह पहल सिंधु जल संधि के अनुकूल थी लेकिन 2015 में की गई इस पहल को अचानक 2016 में उसने वापस ले लिया। इसका कोई कारण भी उसने नहीं बताया। यह तो संधि की धारा 9 का उल्लंघन है। अब भारत की सहमति के बिना ही पाकिस्तान हेग के अंतरराष्ट्रीय में चला गया है। इसी से नाराज होकर भारत ने अब पाकिस्तान को 90 दिन तक लेकिन आश्चर्य है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने हेग के न्यायाधीशों को अभी के इस उल्लंघन के बारे में क्यों नहीं बताया? बेहतर तो यह होगा कि भारत यस्थिता को ही अस्वीकार कर दे। हेग के न्यायाधीशों ने क्या सिंधु जल—संधि ना ही इस मामले पर विचार करना स्वीकार कर लिया है? विचित्र यह भी है तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भारत से सीधा संवाद करने की बात कहते हैं। उनकी राह से भटककर वे अदालत की शरण में जा रहे हैं।

■ हाँ अब भारत का सहनात के बिना हा पाकिस्तान हग के जातरराष्ट्रीय न्यायालय की शरण में चला गया है। इसी से नाराज होकर भारत ने अब पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस दे दिया है लेकिन आश्चर्य है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने हेग के न्यायाधीशों को अभी तक संधि के नियमों के इस उल्लंघन के बारे में क्यों नहीं बताया? बेहतर तो यह होगा कि भारत हेग न्यायालय की मध्यस्थता को ही अस्वीकार कर दे। हेग के न्यायाधीशों ने क्या सिंधु जल-संधि के नियमों को पढ़े बिना ही इस मामले पर विचार करना स्वीकार कर लिया है? विचित्र यह भी है कि एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भारत से सीधा संवाद करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ संवाद की राह से भटककर वे अदालत की शरण में जा रहे हैं।

# **बजट में कोई आहत, किसी को राहत...**

मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। दावा किया जा रहा है कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। वैसे आम जनता के नजरिये से देखा जाए तो जो प्रयास अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किए गए हैं...

सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। सम्मान-परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों



दांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र बजट की प्राथमिकताएं बताई जा रही हैं। गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। अतिरिक्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। दावा है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10 वें से 5 वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वर्ही, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। वित्तमंत्री सीतारमण ने 3 वर्षों में 47 लाख यवाओं को

पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था। बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया है। सीतारमण का कहना है कि हम लोगों को रहने के लिए तेजी से घर आवंटित करेंगे। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए खास बात यह है कि जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बसितयों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम विश्व कर्म कौशल

उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एर टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। दावा किया जा रहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। वैसे आम जनता के नजरिये से देखा जाए तो जो प्रयास अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किए गए हैं, वे अच्छे कदम हैं लेकिन आम जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, जिसे कम करने के उपाय इस बजट में अपर्याप्त ही माने जा सकते हैं।

# जातिगत जनगणना से डर क्यों?

उदाहरण के लिए, क्यों भारत की ऊंची जातियां बीजेपी को वोट कर रही हैं, इस विषय पर नाममात्र का अध्ययन हुआ है।

तीसरा, यह लीला फर्नांडिस की उस अवलोकन को वैधता प्रदान करता है कि इस देश में उच्च-जाति के प्रभुत्व वाला मध्यमर्वान्, पश्चिम देशों के मध्यम वर्ग के विपरीत, सामाजिक रूप से अनुदार और रुढ़िवादी हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि निचले समूहों के लोग मध्यमर्वान् का हिस्सा बन पाए। यदि ऐसा नहीं है, तो आरक्षण का विरोध करने वाले निजीकरण का विरोध क्यों नहीं करने?

आधारित जनगणना का पुरजोर विरोध किया जाता रहा है। आज जातिगत जनगणना के विषय में चल रहे दो तरह कुतर्कों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत है। सबसे पहले, यह सोचना गलत है कि निचली जातियां इसका इस्तेमाल केवल जाति आधारित कोटा बढ़ाने के लिए करेंगी। और दूसरी बात यह है कि जनगणना का मकसद सिर्फ अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की गणना नहीं है बल्कि सर्वणी की भी है। संक्षेप में, जाति गणना को केवल आरक्षण बढ़ाने के प्रयास भर तक ही नहीं बढ़ाना चाहिए। वास्तविक बाधाएँ आमतौर पर संरचनाओं को खत्म किए बिना, जाति व खत्म किया जा सकता है? तीसरा, यह आशंका को दूर करने की प्रक्रिया ने पिछड़ी समुदायों व अंदर ही ऐसे वर्ग तैयार कर दिए हैं जो बाबू पिछड़े समूहों से काफी आगे निकल चुके हैं। बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण इसी तरह किया गया है। लेकिन बिना जातिगणना के हम कैसे पता लगायें कि पिछड़े व के किन जातियों ने कितना फायदा उठाया है ताकि जाति सामाजिक वर्ग सम्बन्धों

चौथा, जनगणना में जातियों की गणना का विरोध यह प्रदर्शित करता है कि हम सामूहिक क्षमा से नहीं आपातिक उत्तरीक्षा की संपूर्णता

आधारित जनगणना का पुरजोर विरोध किया जाता रहा है। आज जातिगत जनगणना के विपक्ष में चल रहे दो तरह कुर्कों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत है। सबसे पहले, यह सोचना गलत है कि निचली जातियां इसका इस्तेमाल केवल जाति आधारित कोटा बढ़ाने के लिए करेंगी। और दूसरी बात यह है कि जनगणना का मकसद सिर्फ अन्य पिछड़ी जातियों (ओडीसी) की गणना नहीं है बल्कि सवर्णों की भी है। संक्षेप में, जाति गणना को केवल आरक्षण बढ़ाने के प्रयास भर तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गणना आरक्षण को सही तरीके से लागू करने एवं उसकी जरूरत को परिलक्षित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मेरे विचार से कम से कम ऐसे तीन कारण हैं जो जातिगत गणना को वांछनीय बनाती हैं—

आर्थूत संरचनाओं को खत्म किए बिना, जाति व खत्म किया जा सकता है? तीसरा, यह आशंका बढ़ रही है कि विभिन्न समूहों के बीच असमानता को दूर करने की प्रक्रिया ने पिछड़ी समुदायों व अंदर ही ऐसे वर्ग तैयार कर दिए हैं जो बाबत पिछड़े समूहों से काफी आगे निकल चुके हैं। बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण इसी तरह मेहन्त किया गया है। लेकिन बिना जातिगत गणना के हम कैसे पता लगायें कि पिछड़े व के किन जातियों ने कितना फायदा उठाया है। इसलिए, जाति गणना हमें यह पहचानने सक्षम करेगी कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओडीसी) और उच्च जातियों में कौन-कौन स अलग-अलग श्रेणियां हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना को केवल मजबूत और लक्षित नीतियों को बनाने और







गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## श्रीष प्रताप यादव (सोनू)

ग्राम प्रधान सोहास



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ स्वच्छता का करें पालन, स्वच्छ हो हर घर आँगन !

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## महेन्द्र यादव

ग्राम प्रधान - बरगदा



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ झेला जिन्होंने दुश्मन का प्रहार, है देश उन्हीं का कर्जदार

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## सत्य प्रकाश

ग्राम प्रधान - सहिंगर  
वि.स. : भनवापुर



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ इंकलाब का नारा है, भारत देश हमारा है।

## पंकज वर्मा

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि - ऐंगडेगढ़ा



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ हम सब ने आज ये ठाना है, आजादी को अमर बनाना है

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## वसीम खान

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि - महादेवा बुजर्ग



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ जिन वीरों पर हमको गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## डा अनिल शाहनी

चन्द्रघटी हास्पिटल मनीजोत,  
चन्द्रा हेलथ केयर धोबहा सिद्धार्थनगर



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ स्वतंत्रता दिवस पर हम कसम उआएंगे, स्वतंत्र भारत को स्वच्छ बनाएंगे।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

सोहाब ग्रा पलिक मूल सोहास बाजार सिद्धार्थ नगर

प्रधानाचार्य  
अफरोज



प्रबंधक  
इंडिया अली

जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ 15 अगस्त पर अभिमान करो, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करो।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## आशुतोष सिंह श्रीनेत चंदन सिंह

मो. 8887870787



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ स्वच्छता का करें पालन, स्वच्छ हो हर घर आँगन !

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## गंगा राम

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि - अमहृत



जनपद - सिद्धार्थनगर

✓ चलो जश्न मनाये, आजादी का त्यौहार मनाये।

# कार्यालय नगर पंचायत विस्कोहर, जनपद-सिद्धार्थनगर

स्वच्छ विस्कोहर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ विस्कोहर

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं



## सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन

अवसर पर मुख्यमंत्री

## मा. योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्द करते हैं।

1. यह नगर आपका है, आप नगर के सम्मानित नागरिक है, नगर का स्वच्छ, प्रदूषण रहित बनाये रखने के लिए नगर पंचायत द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहयोग करें। अपने घरों का कूड़ा करकट नालियों में न डालें, उसे निश्चित स्थान पर ही रखें।
2. सार्वजनिक सड़क, भूमि, पटरी व नालियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण एक संज्ञय अपराध है।
3. नगर पंचायत द्वारा नगर में स्थापित प्रकाश विन्दु जो अंधेरे में आप के मार्ग दर्शक हैं, को क्षति न पहुंचायें।
4. नगर पंचायत से भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही भवन का निर्माण करें।
5. जन्म मृत्यु का पंजीयन 21 दिन के अन्दर कार्यालय में समय से दर्ज करायें।
6. प्रतिबन्धित पालीथीन का प्रयोग न करें, नगर को प्रदूषण से बचायें। जूट व कागज से बने थैले का ही प्रयोग करें।
7. खुले मैदान या खेतों में शौच के लिए न जाएं, घर में बने शौचालय का प्रयोग करें।
8. अधिक से अधिक पेड़ लगायें भूमण्डल को बेहतर बनायें।
9. स्वच्छता एप डाउनलोड करें। दूसरों को भी स्वच्छता एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें।
10. यह नगर आपका है इसे स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने में सहयोग करें।
11. छत से कूड़ा न फेंकें, फेंकते हुए पकड़े जाने पर नगर पंचायत द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
12. मास्क का प्रयोग करें एवं सामाजिक दूरी बनायें।
13. कोविड-19 वाचाव हेतु वैक्सीन अवश्य लगवायें तथा दूसरों को प्रोत्साहित भी करें।
14. मास्क जरूर लगाये तथा दो गज की दूरी अपनाएं।



विकास किशोर  
उपजिलाधिकारी, इलावा



अमरजीत  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत, विस्कोहर



संजीव रंजन

जिलाधिकारी  
सिद्धार्थनगर



उमाशंकर

प्रशासक/अपर जिलाधिकारी (वि.सा.)  
नगर पंचायत विस्कोहर, सिद्धार्थनगर